न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072
दायरा तिथि : 30.07.2018
आदेश तिथि : 14-09-22

प्रार्थीगण :–
1. उमाराम, जीवाराम पिसरान् हेमाराम
2. नथाराम, धनाराम, घीसाराम पिसरान् रूपाराम तमाम जाति से सिरवी निवासीगण बेरा सियालावाला, बारला हनुमानजी के पास, बाली तहसील बाली जिला पाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. तेजाराम, जीवाराम, गमनाराम पिसरान् चेलाराम एवं जतनोबाई पत्नि चेलारामजी
2. भगाराम पुत्र कूपारामजी
3. रामलाल पुत्र कूपारामजी तमाम जाति से सिरवी निवासीगण बेरा सियालावाला, बारला हनुमानजी के पास बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 14-09-22

आदेश

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण उमाराम, जीवाराम पिसरान् हेमाराम वगैरा द्वारा संयुक्त हसक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1182 रकबा 0.18 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1182/1 रकबा 0.18 हैक्टर की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण तेजाराम,जीवाराम, गमनाराम पिसरान् चेलाराम वगैरा की सह खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 1176, 177, 1178 मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/ 2021/1330 दिनांक 06.08.2021 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1 यह हैं कि ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1182 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व खसरा नंबर 1182/1 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की खातेदारी श्री उमाराम पुत्र हेमाराम जाति सिरवी निवासी बाली के नाम की दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते क अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजुद हैं।

2 यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा वार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1176	0.80	चा.प्र.जा.अ.	48X4=192 वर्गमीटर	गमनाराम,जीवाराम, तेजाराम पि0 चेलाराम जतनोबाई पत्नि चेलाराम
2	1182/1	0.18	चा.प्र.	46X4=184 वर्गमीटर	घीसाराम हि. 1/6, धन्नाराम हि. 1/6, नथाराम पिसरान् रूपाराम हि. 1/6, मीरादेवी हि. 1/6, हुलीदेवी पुत्रिया रूपाराम हि. 1/6,,हीरादेवी पत्नि रूपाराम हि. 1/6

अन्य विकल्प के तौर पर पहुँच हेतु वर्तमान में प्रार्थी द्वारा आवागमन के उपयोग में लिया जाने वाले रास्ते का खसरा वार विवरण निम्नानुसार है।

पेज लगातार.......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072

अनवान उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1178	0.54	चा.प्र.	94X4=376 वर्गमीटर	रामलाल पुत्र कूपाराम जाति सीरवी निवासी बाली
2	1182/1	0.18	चा.प्र.	20X4=80 वर्गमीटर	घीसाराम हि. 1/6, धन्नाराम हि. 1/6, नथाराम पिसरान् रूपाराम हि. 1/6, मीरादेवी हि. 1/6, हुलीदेवी पुत्रिया रूपाराम हि. 1/6,,हीरादेवी पत्नि रूपाराम हि. 1/6

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 1141650/-रूपये प्रति हैक्टेयर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं किन्तु खसरा नंबर 1176 की मेड पर छीणे खडी कर बाउण्डरी तैयार की गई हं, जिसको रास्ते के तौर पर खोलने या हटाने से लगभग 5000/-रूपये की क्षति होगी। तथा प्रस्तावित रास्ते मे अन्य किसी प्रकार की क्षति नहीं है।

उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या-01 तेजाराम, जीवाराम, गमनाराम, चेनाराम व जतनोबाई की ओर से आपत्तियाँ पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि बेरा सियाला वाला की भूमि प्रार्थीगण के पुर्वज कुपा पुत्र नेमा व अप्रार्थीगण के पुर्व वना के सह खातेदारी की भूमि रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पुर्वजो के मध्य भूमि का विभाजन करते समय दोनो पक्षो के हिस्सो की भूमि में आने जाने के लिये पुर्वजो के समय रास्ते छोडे हुये है। अप्रार्थीगण 1/2 हिस्सा के सह खातेदार वना के वारिश हीरा के पुत्र चेलाराम के पुत्रगण है, जिन्होने वना के वारिशान में पुनः विभाजन होने पर अपने सह खातेदारो व भाईयो को रास्ते के लिये भूमि दी है। प्रार्थीगण के पुर्वजो को अप्रार्थीगण के पुर्वजो द्वारा विभाजन में रास्ते के लिये एक बार भूमि देने के बाद पुनः अप्रार्थीगण के हिस्से बंट में आई भूमि से धारा 251(ए) के तहत नये रास्ता की मांग नहीं कर सकते। प्रार्थीगण कुपा पुत्र नेमाजी के पुत्र रूपाराम व हेमाराम के वारिसान है तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 भगाराम व रामलाल कूपा पुत्र नेमाजी के पुत्रगण है, जिस कारण अगर प्रार्थीगण रास्ता मांगते है तो वे अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की जमीन मेंसे ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। पिछले 50 वर्षो से प्रार्थीगण अपने बन्ट में आये खसरा नंबर 1182 में आना जाना अपने ही भाई बन्ध अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की भूमि मेंसे ही करते आये हैं। लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपनी खातेदारी भूमि में लोहे की फाटक लगाकर व तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया है, जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। चुंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 एक ही पूर्वज के वंश है जिस कारण वे अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की खातेदारी मेंसे वैकल्पिक रास्ता बताया है, उस रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाता है, तो वह बेरे पर आने जाने हेतु सुविधाजनक व नजदीक व उचित रास्ता रहेगा। अप्रार्थी संख्या 01 हीरा व कसा पुत्रगण वनाजी के वारिसान हैं। जिनके बन्ट में आई भूमि पर वे एक दुसरे को अपने जाने का अधिकार देते हुये रास्ता की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जिस कारण उनके आपस में कोई विवाद नहीं हैं। इन खातेदारो के हिस्से व बन्ट की भूमि में आधे हिस्से के पूर्व खातेदार कूपा पुत्र नेमाजी के वारिस कानून कोई अधिकार नहीं मांग सकते और रास्ता भी नहीं मांग सकते, जिस कारण तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थी संख्या-01 के खातेदारी मेंसे उपलब्ध करवाने की अनुशंषा की है जो सरासर गलत व गैर कानूनी है। प्रार्थीगण केवल अपने पूर्वजो की खातेदारी भूमि जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के बन्ट में आई हुई हैं उसमेंसे ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। जो प्रार्थीगण के लिए सुलभ व अच्छा रास्ता रहेगा। अतः वैकल्पिक रास्ता से ही आवेदक को रास्ता दिया जावे।

उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट के सबंध में अप्रार्थी रामलाल पुत्र कूपारामजी सीरवी की ओर से निम्न आपत्तिया पेश की गईः-

1. कि धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत काश्तकार की खातेदारी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होने की स्थिति में आवेदन को परिपोषणीय नहीं माना हैं, उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुये प्रार्थी पक्ष ने उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. कि तहसीलदार, बाली को उक्त प्रकार के आवेदनों में वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकर्ड में मौजुद हो बाबत् ही उल्लेख करना होता है एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही प्रार्थी पक्ष के द्वारा चाहे गये-इच्छित रास्ते से अन्य रास्तो से तुलने करते हुए अन्य प्रस्तावित लघुतम (shortest) या निकटतम रूट (Nearest route) को दर्शाया जाना होता हैं। स्वयं की तरफ से अनावश्यक तथ्यो का समावेश किया जाना क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072
अनवान उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार, बाली ने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन एवं मौका निरीक्षण नहीं कर जांच रिपोर्ट जो हल्का पटवारी, भू0 अभिलेख निरीक्षक बाली ने वैधानिक प्रावधानो के विरूद्व जाकर मात्र काश्तकारो को लडाने हेतु अवैद्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके सरसरी अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है।
4. कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष के आवेदन पर सर्वप्रथम प्रार्थी पक्ष द्वारा इच्छित चाहे गये रास्ते की जांच कर लम्बाई– चौडाई के विवरण प्रस्तुत करने थे परन्तु उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार, बाली, अधीनस्थ कर्मचारियो ने कोई टिप्पणी नहीं की हैं न ही मौका स्थिति की जांच कर प्रार्थीगण– अप्रार्थीगण के संयुक्त सह खातेदारी के कुआ की भूमि खसरा नंबर 1173 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा खसरा नंबर 1174 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गै.म. सडा से आने जाने के लिये खसरा नंबर 1176 से चाहे गये रास्ते बाबत् कोई वस्तुस्थिति की रिपोर्ट नहीं दी गयी है जबकि मौके पर खसरा नंबर 1176 में छः फीट चौडाई में रास्ता छोडा हुआ मौके पर मौजूद है।
5. कि तहसीलदार, बाली ने पत्र दिनांक 06.08.2021 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के खसरावार विवरण में खसरा नंबर 1176 की बजाय 1178 गलत तौर से अंकित किया हुआ है जिसको दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।
6. अप्रार्थी रामलाल के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में रास्ते बाबत् लघुतम नम्न विकल्प बताये:–
(अ) प्रार्थी पक्ष द्वारा आवेद के जरिये इच्छित रास्ता। (उक्त सबंध में प्रभावित/ व्यतित होने वाली भूमि की लम्बाई 108 मीटर होती है।
(ब) खसरा नंबर 1176, 1182/1 की भूमि मेंसे हाकर जिसका जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया हैं। जिसकी लम्बाई खसरा नंबर 1176 मेंसे 48 मीटर एवं 1182/1 मेंसे 46 मीटर होती है, जो कुल लम्बाई 94 मीटर होती है।
(स) उपरोक्त प्रस्तावित रास्तो से भी लघुतम रास्ता खसरा नंबर 1185 के मध्य मेंसे खसरा नंबर 1182/1 व 1182 की माठ को मध्य में रखते हुये होगा जो लम्बाई में मात्र 44 मीटर ही होगा। उक्त रास्तो को आक्षेप का अभिन्न भाग नजरी नक्शा जो राजस्व नक्शा ट्रैस की फौटो में तैयार किया गया हं मार्क (अ) (ब) (स) है।
आक्षेप प्रस्तुत कर पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने तथा सार्वजनिक रास्ता की पहुँच हेतु लुतम रास्ता उपरोक्त प्रस्तावित मेंसे प्रदत्त कराने एवं खसरा नंबर 1178 रकबा 0.54 हैक्टर के सबंध में प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।
प्रार्थीगण की ओर से भी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार, बाली ने पैरा संख्या 02 के क्रंसं. 01 में खसरा नंबर 1176 से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के किसी उपयोग का नहीं हैं क्योंकि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1173 व 1174 गै.मु. बेरा व गै.मु. सडा तक जाना है। खसरा नंबर 1173 गै.मु. बेरा पर लगे हुये सिंचाई के साधन विद्युत कनेक्शन पर मोटर को चालू करने जाना व आना पडता है इस हेतु अगर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाता है तो बेरे पर आने जाने हेतु **करीब 02 किलोमीटर** का चक्कर लगाकर बेरे पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1164 के रास्ते से तो मिलता है लेकिन उस रास्ते से दक्षिण दिशा में होते हुये प्रार्थीगण के बेरा खसरा नंबर 1173 पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 1164 गै.मु. रास्ता से दक्षिण दिशा में पहले नदी, उसके आगे आदर्श विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बाली उसके आगे जलदाय विभाग का पम्प हाऊस व उसके आगे स्थित रहवासीय कॉलोनी से होकर वापस आई.ओ.सी. कॉलोनी के सामने स्थित रास्ते से वापस नदी पार कर, हनुमानजी मन्दिर के पास से चामुण्डेरी जाने वाले रास्ते से खसरा नंबर 1173 गै.मु. बेरा पर आया जा सकता है। इस प्रकार विद्युत बन्द होने पर ट्रीप होने पर विद्युत मोटर को चालू करने के लिये बेरे पर आने में काफी समय लगने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शे में बताया गया प्रस्तावित रास्ता किसी तरह से फिजीबल नहीं हैं। कि तहसीलदारजी बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.08.2021 में जो विकल्प का रास्ता बताया है वह रास्ता सुलभ व बेरा खसरा नंबर 1173 पर आने जाने का सही रास्ता हो सकता है, क्योंकि खसरा नंबर 1173 गै.मु. बेरा से खसरा नंबर 1176 व 1177 के बीच से होकर कदीम से पानी की वेल (नाली) जाती है जो आगे खसरा नंबर 1178 में से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 1182 व 1182/1 तक जाती है। जहां अब अन्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन है तथा उसके पास ही रास्ता की मांग की गई है, अगर प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता दिया जाता है तो वह खसरा नंबर 1177 के पश्चिम दिशा में न होकर पूर्व दिशा में जाने वाली चामुण्डेरी सडक होकर आयेगा जो प्रार्थीगण के आने जाने हेतू सुगम व सुविधाजनक रास्ता रहेगा।
इस प्रकार तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबध में प्रार्थीगण स्वयं एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पक्षकारो द्वारा असंतुष्टि व्यक्त करने तथा रिपोर्ट के सबंध में आक्षेप उठाये जाने से न्यायालय द्वारा पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो की प्रतियॉ तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पुनः रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये।

पेज लगातार.......04

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072
अनवान उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बाली ने पुनः मौका जांच करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/1811 दिनांक 17.06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की गई:-

1. यह हैं कि रेकर्ड एवं मौका की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1174 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. सडा मेंसे रास्ता की मांग की गई है। जिसमें मौके पर खसरा नंबर 1174 में पक्के मकान निर्माण किये हुए हैं मौके पर मांग किये गए रास्ते पर मात्र पांच फीट की गली खुली हुई है जिसमें दोनो तरफ पक्की दीवारे निकलती हैं। मौके पर स्थित पॉच फीट चौडाई के गलीनुमा रास्ते से कृषि यंत्र ट्रैक्टर , ट्रोली, इत्यादि का आना जाना नहीं हो सकता है। अतः आवेदक द्वारा मांग किया गया रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

2. यह हैं कि खसरा नंबर 1176 व 1182/1 मेंसे नया रास्ता प्रस्तावित होने पर आवेदक की भूमि से निकटतम दूरी का रास्ता होगा एवं खसरा नंबर 1176 मेंसे खेत के टूकडे नहीं होगें। अतः नियमानुसार खसरा नंबर 1176 व 1182/1 मेंसे नया रास्ता प्रस्तावित हैं।

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1176	0.80	चा.प्र.जा.अ.	48X4=192 वर्गमीटर	गमनाराम,जीवाराम, तेजाराम पि0 चेलाराम जतनोबाई पत्नि चेलाराम
2	1182/1	0.18	चा.प्र.	46X4=184 वर्गमीटर	घीसाराम हि. 1/6, धन्नाराम हि. 1/6, नथाराम पिसरान् रूपाराम हि. 1/6, मीरादेवी हि. 1/6, हुलीदेवी पुत्रिया रूपाराम हि. 1/6,,हीरादेवी पत्नि रूपाराम हि. 1/6

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 1141650/-रूपये प्रति हैक्टेयर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं किन्तु खसरा नंबर 1176 की मेड पर छीणे खडी कर बाउण्डरी तैयार की गई हं, जिसको रास्ते के तौर पर खोलने या हटाने से लगभग 5000/-रूपये की क्षति होगी। तथा प्रस्तावित रास्ते मे अन्य किसी प्रकार की क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी व अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार व अप्रार्थी संख्या-01 के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या-02 श्री अमृत परिहार ने तहसीलदार, बाली द्वारा पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त कर इसी अनुसार आवेदक को रास्ता स्वीकृत किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या-01 के अधिवक्ता द्वारा पुर्व में प्रस्तुत आपत्तियो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये कदीम से अप्रार्थी संख्या-02 जो कि प्रार्थीगण के कुटुम्बी सदस्य है, उनकी खातेदारी भूमि से होकर ही अपनी भूमि व बेरे पर आवागमन करते आ रहे है अब फाटक लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, तो इसके लिये अप्रार्थी संख्या-01 की भूमि से रास्ता नहीं दिया जावे पुराने रास्ते को ही खुल्ला करवाया जावे। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने भी बहस में उक्त रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुये दलील दी गई उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये फिजिबल नहीं होगा क्यों कि उक्त रूट से आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने पर प्रार्थी को बेरे पर लगी हुई मोटर को चालू व बन्द करने के लिये 02 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी खातेदारी तक पहुँचना पडेगा। अतः खसरा नंबर 1173 गै.मु. बेरा से खसरा नंबर 1176 व 1177 के बीच से होकर कदीम से पानी की वेल (नाली) जाती है जो आगे खसरा नंबर 1178 में से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 1182 व 1182/1 तक जाती है। जहां अब अन्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन है तथा उसके पास ही रास्ता की मांग की गई है, अगर प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता दिया जाता है तो वह खसरा नंबर 1177 के पश्चिम दिशा में न होकर पूर्व दिशा में जाने वाली चामुण्डेरी सडक होकर आयेगा जो प्रार्थीगण के आने जाने हेतू सुगम व सुविधाजनक रास्ता रहेगा।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) विधि के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का भी आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि आवेदक प्रार्थीगण ने ग्राम बाली स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1182 व 1182/1 की भूमि आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता नहीं होने से ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1176, 1177, एवं 1178 की भूमियो से होकर नये रास्ते के लिये आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या-02 एवं प्रार्थी स्वयं के द्वारा आपत्तियॉ पेश की गई।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.... 05

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072

अनवान उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिन आपत्तियों के सबंध में तहसीलदार, बाली से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/1811 दिनांक 17.06.2022 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस रिपोर्ट से अप्रार्थी संख्या-02 के अधिवक्ता तो सहमत है परन्तु अप्रार्थी संख्या-01 प्रार्थीगण को इस रूट से रास्ता देने के लिये कतई तैयार नहीं है। अप्रार्थी संख्या-01 की मुख्य आपत्ति यह रही हैं कि प्रार्थीगण के पुर्वजो व अप्रार्थी संख्या-01 के पुर्वजो के मध्य पुर्व में हुये विभाजन के अनुसार खातेदारो के आवागमन के लिये विभाजन में रास्ते छोडे गये है। जिन रास्तो का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-02 आदिनांक तक करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या-01 भी अपने पुर्वजो के समय से हिस्से बंट में आई भूमियो के रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। अब अप्रार्थी संख्या-02 द्वारा प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता जो पीढीयो से चालू था उसको फाटक लगाकर बंद करने से अप्रार्थी संख्या-01 की खातेदारी भूमि मेसे प्रार्थीगण को रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस सबंध में विधिक प्रावधानो का अवलोकन करने पर जाहिर हैं कि किसानो को अपनी खातेदारी भूमियो तक आने जाने के लिये रास्ते की समस्याओ के निराकरण करने के लिये ही वर्ष 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुये धारा 251(ए) जोडी गई। जिसके तहत आवेदन आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, बाली से रेकर्ड व मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक को डी.एल.सी. दर की दुगनी दर से रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्राविधित किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भी प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित रास्ता से असहमति प्रकट करते हुये असहमति व्यक्त की जा रही है, जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार उक्त प्रावधान आवश्यकता के लिये है न कि अपनी सुविधा के लिये। अप्रार्थी संख्या-01 व प्रार्थीगण द्वारा जिस रूट से रास्ता स्वीकृति की दलील दी जा रही है, वहॉ पक्के मकान निर्मित है तथा मात्र 5 फीट चौडी गली है, जिससे कृषि संयत्र ट्रैक्टर इत्यादि नहीं ले जा सकते है। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थीगण की आपत्तियॉं औचित्य हीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1811 दिनांक 17.06.2022 के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम बाली पटवार हल्का, बाली तहसील बाली में प्रार्थीगण द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 1182 रकबा 0.18 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1182/1 ाकबस 0.18 किस्म चाही प्रथम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली के खसरा नंबर 1176 व 1182/1 मेंसे **376 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारान् को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 1141650/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1176	0.80	48X4=192 वर्गमीटर	114.17	21921X2=43842	गमनाराम,जीवाराम, तेजाराम पि0 चेलाराम जतनोबाई पत्नि चेलाराम बहिस्सा बराबर
1182/1	0.18	46X4=184 वर्गमीटर	117.16	21007X2=42014	घीसाराम हि. 1/6, धन्नाराम हि. 1/6, नथाराम पिसरान् रूपाराम हि. 1/6, मीरादेवी हि. 1/6, हुलीदेवी पुत्रिया रूपाराम हि. 1/6,,हीरादेवी पत्नि रूपाराम हि. 1/6

प्रस्तावित रास्ता में 5000/-रूपये खसरा नंबर 1176 की मेड पर खडी छीणो की अतिरिक्त क्षति एवं देय प्रतिकर राशि 48842 रूपये खसरा नंबर 1176 के खातेदारान् को अदा की जायेगी एवं 42014/-रूपये खसरा नंबर 1182/1 के खातेदारान् को आवेदक द्वारा अदा की जायेगीं

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

पेज लगातार......06

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

//06//

राजस्व विविध प्रकरण सं0 20/2018 :GCMS No 2018/00072

अनवान उमाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

दिनांक 14-09-22

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3392-96

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक उमाराम पुत्र हेमाराम जाति सीरवी निवासी बाली वगैरा

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner